

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

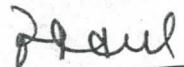
जयपुर, दिनांक : 12 जनवरी, 2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित राज्य के 20 जिलों की 90 नगर निकायों के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2021 के लिये मतदान दिनांक 28.01.2021 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 26.01.2021 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 28.01.2021 को सायं 5.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,  
  
(अनुराग राज जोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

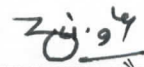
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)  
E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2021/490

दिनांक : 15/01/2021

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(अशोक कुमार जैन)  
उप सचिव